छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विकास: योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन का अध्ययन

Satyendra[1], Dr. Shantanu Paul[2]

[1]Research Scholar, Mahant Laxminarayan Das College, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, India
[2]Professor & HOD (Department of Commerce), Mahant Laxminarayan Das College, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, India

सारांश
यह शोध–पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित प्रमुख उद्यानिकी योजनाओं, यथा राज्य पोषित तथा केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं के उद्देश्यों तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया का समग्र मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता का विश्लेषण भी किया जाएगा, ताकि इन योजनाओं से प्राप्त वास्तविक प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। द्वितीयक आंकड़ों एवं पूर्ववर्ती अध्ययनों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इन योजनाओं ने राज्य में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में वृद्धि, कृषकों की आय में सुधार तथा सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन में असमानता, प्रशिक्षण की सीमाएं तथा आधारभूत संरचना की कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं।
उद्यानिकी का विस्तार न केवल राज्य की कृषि व्यवस्था में विविधता लाने का कार्य करता है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता एवं कृषकों की आयवृद्धि में भी सहायक सिद्ध होता है। राज्य में इस क्षेत्र की बढ़ती मांग तथा मूल्यवर्धन की संभावनाओं ने किसानों के लिए नवाचार एवं उद्यमिता के नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। यह शोध इस बात पर केन्द्रित है कि इन योजनाओं को किस प्रकार अधिक प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित कर छत्तीसगढ़ में सतत उद्यानिकी विकास की दिशा में ठोस प्रगति की जा सकती है।

शब्दकुंजी: छत्तीसगढ, उद्यानिकी, नीतियाँ क्रियान्वयन, बागवानी उत्पाद, आर्थिक स्थिरता।

1. प्रस्तावना:

छत्तीसगढ़ राज्य अपनी समृद्ध कृषि परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है, और इसमें उद्यानिकी व्यवसाय तेजी से विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में फलों, सब्जियों, फूलों, और मसालों का उत्पादन होता है, जो न केवल किसानों को उच्च आय प्रदान करता है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करता है।
उद्यानिकी को बागवानी फसलों की खेती एवं प्रबंधन की एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें फल, सब्जियाँ, मेवे, बीज, औषधीय एवं सगंध पौधे तथा सजावटी पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ सम्मिलित होती हैं। इसमें पौधों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु पौध जीवविज्ञान, मृदा विज्ञान, कीट प्रबंधन एवं परिदृश्य डिज़ाइन जैसी वैज्ञानिक और व्यावहारिक तकनीकों का समावेश होता है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, सौंदर्यात्मक मूल्य एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने हेतु पौधों के समुचित विकास को बढ़ावा देना है।
उद्यानिकी का इतिहास प्राचीन कृषि पद्धतियों में निहित है, जो समय के साथ उन्नत तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए विकसित हुआ है। इस विकास ने फसल उत्पादन और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार किया है,

जिससे आधुनिक खाद्य प्रणालियों में उद्यानिकी की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट होती है। यह जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन में भी योगदान देता है। उद्यानिकी का महत्व पर्यावरण के अनुकूल और स्थिर प्रथाओं को बढ़ावा देने में निहित है, जो वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। (Mahendra and Saurabh 2024)
उद्यानिकी कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जो पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन और कृषि आय बढ़ाने के लिए कृषि में विविधता लाने का एक प्रमुख अवसर प्रदान करता है। उद्यानिकी की योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करना है। साथ ही, इन योजनों का लक्ष्य बागवानी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करना और किसानों के लिए नए आर्थिक अवसर उत्पन्न करना है। हालांकि, इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे सिंचाई संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन, और बाजार तक पहुंच की समस्याएं है।
इस अध्ययन में छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी की योजनाओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा, किसानों के अनुभवों और उनकी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि इन नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

उद्यानिकी में प्रमुख अवधारणाएँ

1. **पादप जीवविज्ञान और प्रवर्धन:** सफल उद्यानिकी पद्धतियों के लिए पौधों की संरचना, रूपविज्ञान और प्रवर्धन तकनीकों की समझ आवश्यक है। (Haldavanekar 2023)
2. **पोषण मूल्य:** उद्यानिकी पोषक तत्वों से भरपूर फसलों का उत्पादन करके आहार विविधता को बढ़ाती है, जो कुपोषण से निपटने में सहायक होती है। (Hanif 2024)
3. **स्थायित्व:** उद्यानिकी पद्धतियों को स्थानीय जलवायु के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और बाजार में उतार–चढ़ाव के प्रति लचीलापन बढ़ता है। (Hanif 2024)

उद्यानिकी के सैद्धांतिक आधार

1- **आर्थिक मॉडल:** उद्यानिकी कृषि विभिन्न आर्थिक मॉडलों पर आधारित होती है, जिनमें पारिवारिक कृषि और श्रम–आधारित कृषि शामिल हैं, जो उत्पादन और उपभोग लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। (Svynous, Havryk, and Byba 2020)।
2- **कार्यप्रणालीगत दृष्टिकोण:** उद्यानिकी में अनुसंधान पद्धतियाँ व्यवस्थित और तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं, जो उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। (Svynous et al. 2020)।

भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियाँ

छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी और वाणिज्यिक कृषि पर वहां की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राज्य तीन कृषि–जलवायु क्षेत्रों–छत्तीसगढ़ मैदान, बस्तर पठार और उत्तरी पहाड़ियाँ में विभाजित है और यहाँ शुष्क उप–आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1400 मिमी होती है, जो मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान होती है। (Bhuarya et al. 2018; Gupta et al. 2019)
क्षेत्र वितरण: छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किमी है, जिसमें छत्तीसगढ़ मैदान 50% क्षेत्र को कवर करता है, इसके बाद बस्तर पठार (29%) और उत्तरी पहाड़ियाँ (21%) आती हैं (Gupta et al. 2019)।
भू–आकृति विज्ञान: राज्य की विविध भौगोलिक संरचना स्थानीय जलवायु और मिट्टी के प्रकार को प्रभावित करती है, जिससे कृषि उत्पादकता और फसलों की पसंद पर प्रभाव पड़ता है (Bhuarya et al. 2018)।

राज्य की 90% वर्षा मानसून के दौरान होती है, जिसमें जिलों के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखा जाता है। वार्षिक वर्षा कृषि–जलवायु क्षेत्र के अनुसार 1000 से 1600 मिमी तक होती है। तापमान और आर्द्रता में उतार–चढ़ाव विभिन्न क्षेत्रों की कृषि क्षमता को निर्धारित करते हैं, जिससे फसलों के लिए बढ़ने की अवधि (LGP) प्रभावित होती है (Bhuarya et al. 2018)।

2. शोध का उद्देश्य:

छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ उद्यानिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उद्यानिकी और कृषि के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, आधुनिक तकनीकों का विस्तार, और सतत कृषि को प्रोत्साहित करना है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी से संबंधित योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्माण किया गया है:–

- छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी क्षेत्र के विकास हेतु क्रियान्वित राज्य पोषित योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

3- साहित्य–समीक्षा:

अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी नीतियाँ, सब्सिडी, और विपणन ढाँचे उद्यानिकी क्षेत्र की प्रगति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सूडान में सरकार द्वारा दी गई इनपुट सब्सिडी के बावजूद उत्पादों पर कर लगने के कारण किसानों को आर्थिक हानि हुई (Alnagarabi, S., and A. 2015)। वहीं नेपाल में कृषि सब्सिडी और भूमि सुधार में अभिजात वर्ग के वर्चस्व और नीति क्रियान्वयन की अक्षमता के कारण छोटे किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया (Bhandari 2023)। पोलैंड में यूरोपीय कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी से सहायता मिली, लेकिन नवाचार और अनुकूलन के अभाव में उद्यानिकी क्षेत्र पिछड़ गया (Martikainen 2019)। भारत में सब्जियों की नाशवंत प्रकृति और विपणन समितियों की अक्षमता के कारण सरकारी नीतियों के अपेक्षित लाभ किसानों तक नहीं पहुँच पाए (Karan and Rawat 2024)।

दूसरी ओर, भारत में उद्यानिकी क्षेत्र की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। 2001 से 2017 के बीच क्षेत्र और उत्पादन दोनों में वृद्धि दर्ज की गई (Jha et al. 2019)। कर्नाटक में फलों की खेती, जल संकट जैसी विषम परिस्थितियों में भी लाभकारी साबित हुई है, जहाँ किसानों ने प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से आय बढ़ाई (Chikkalaki and Krishnamurthy 2024)। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हल्दी किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया (Dhruw, Awasthi, and Khan 2019)। ये अध्ययन दर्शाते हैं कि यदि उपयुक्त तकनीक, प्रशिक्षण और संरचनात्मक समर्थन उपलब्ध कराया जाए, तो उद्यानिकी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकता है।

शोध अंतराल

यह साहित्य समीक्षा स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि भले ही उद्यानिकी क्षेत्र से संबंधित नीतियों, सब्सिडियों और विपणन व्यवस्थाओं पर अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में इन योजनाओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन और उनके प्रभावों का व्यापक एवं गहन विश्लेषण अपेक्षित है। राज्य की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी नवाचारों, प्रसंस्करण इकाइयों के उपयोग, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा तकनीकी जानकारी की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर भी छत्तीसगढ़ में समुचित शोध का अभाव है। साथ ही, किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्पन्न परिवर्तनों का समग्र अध्ययन भी आवश्यक है। यह शोध पत्र इन सभी शोध अंतरालों को ध्यान में रखते हुए राज्य में उद्यानिकी विकास की यथार्थ स्थिति को उजागर करने का प्रयास करेगा।

4. छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी की वर्तमान स्थिति – उद्यानिकी का परिदृश्यः

छत्तीसगढ़ में कृषि का परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है और राज्य में पारंपरिक फसलों के साथ–साथ उद्यानिकी क्षेत्र का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ धान प्रमुख फसल है, लेकिन साथ ही मक्का, कोदो–कुटकी, मोटे अनाज, तुअर, कुल्थी, मूँगफली, सोयाबीन, नाइजर और सूरजमुखी जैसी तिलहन व दलहनी फसलें भी उगाई जाती हैं। हालांकि, इनकी उत्पादकता बहुत अधिक नहीं है, इसलिए उद्यानिकी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु फल और सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है। फलों के अंतर्गत आम, अमरूद, नींबू, लीची, काजू, चीकू आदि के अलावा सीताफल, बेल, बेर, आंवला जैसी फसलें भी बोई जाती हैं। वर्ष 2023–24 में फलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 2,19,384 हेक्टेयर और उत्पादन 24,30,581 मीट्रिक टन रहा। आम राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है, लीची के लिए सरगुजा और जशपुर ज़िले तथा काजू के लिए बस्तर और रायगढ़ के पठारी क्षेत्र अनुकूल हैं।

सब्ज़ियों में बैंगन, टमाटर, कद्दू, पत्ता गोभी, फूलगोभी समेत लगभग सभी प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। वर्ष 2023–24 में सब्ज़ियों का क्षेत्रफल 4,91,459 हेक्टेयर और कुल उत्पादन 68,00,310 मीट्रिक टन रहा। मसाले जैसे मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया एवं मेथी भी व्यापक स्तर पर उगाए जाते हैं; जिसका कुल क्षेत्रफल 67,408 हेक्टेयर और उत्पादन 4,64,030 मीट्रिक टन दर्ज किया गया है।

राज्य में फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है तथा गेंदा, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस, गुलाब, गुलदाउदी जैसी प्रजातियाँ बोई जाती हैं। वर्ष 2023–24 में फूलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 13,003 हेक्टेयर और उत्पादन 1,72,857 मीट्रिक टन रहा। सुगंधित पौधों (लेमनग्रास, पामारोजा, पैचुली आदि) का क्षेत्रफल 2,280 हेक्टेयर और उत्पादन 26,903 मीट्रिक टन रहा, वहीं औषधीय फसलों (अश्वगंधा, सर्पगंधा, शतावरी आदि) का क्षेत्रफल 4,235 हेक्टेयर और उत्पादन 22,418 मीट्रिक टन दर्ज हुआ। बागान फसलों में महुआ, कदंब, बांस आदि शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 27,147 हेक्टेयर और उत्पादन 6,43,315 मीट्रिक टन रहा।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र का तेज़ी से विकास हो रहा है और सरकार द्वारा इसके सतत विकास के लिए आधुनिक तकनीकों, सिंचाई एवं आँकड़े संकलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

5. छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं और नीतियांः

उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएंः–

5.1 राज्य पोषित योजनाएँः

5.1.1 फल पौध रोपण योजना–

यह योजना प्रदेश में फल उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसके तहत कृषकों को विभिन्न सीमा क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाता है। जिसके अंर्तगत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर से अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र पर फलोद्यान रोपण करने पर प्रति हेक्टेयर रू.43,750 की लागत का 25% या अधिकतम रू.10,938 का अनुदान दिया जाता है (पाँच वर्षों में)। फल पौध रोपण योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों के विभागीय फलोद्यान नवीन रोपण का लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रहाः–

Table 1 : फल पौध रोपण योजना अंतर्गत विभागीय फलोद्यान नवीन रोपण का लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	अनुमानित (लक्ष्य) (हेक्टेयर में)	वास्तविक (पूर्ति) (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	4096	4044	98.70
2020-21	2955	2802	94.80
2021-22	2576	2559	99.30
2022-23	3347	3347	100.00
2023-24	3406	3391	99.60
कुल	**16380**	**16143**	**98.55**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

फल पौध रोपण योजना के अंतर्गत विभागीय फलोद्यान नवीन रोपण के पिछले पाँच वर्षों के आँकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि योजना का क्रियान्वयन काफी सफल रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुल 16,380 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 16,143 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध रोपण कार्य संपन्न हुआ, जो कुल लक्ष्य का 98.55 प्रतिशत है। यह उपलब्धि योजना की प्रभावशीलता और किसानों की भागीदारी को दर्शाती है। विशेष रूप से वर्ष 2022–23 में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया, जो योजना के उत्कृष्ट निष्पादन का परिचायक है। हालांकि, 2020–21 में प्राप्ति प्रतिशत थोड़ी कम (94.8%) रही, जिसका संभावित कारण कोविड–19 महामारी के चलते उत्पन्न बाधाएँ हो सकती हैं। कुल मिलाकर, योजना ने राज्य में फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

5.1.2 नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना–

इस योजना का उद्देश्य बी.पी.एल. और लघु/सीमांत कृषकों को सब्जी उत्पादन में प्रोत्साहन देना है। इसमें प्रति हितग्राही को न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु रू.9,400 की लागत पर 50% या अधिकतम रू.4,700 का अनुदान प्रदान किया जाता है। नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रहाः–

Table 2: नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	अनुमानित (लक्ष्य) (हेक्टेयर में)	वास्तविक (पूर्ति) (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	1191	1110	93.20
2020-21	1191	1138	95.40
2021-22	1277	1275	99.87
2022-23	1277	1277	100.00
2023-24	1353	1352	99.93
कुल	**6289**	**6152**	**97.82**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की यह योजना प्रदेश में निरंतर सफलता के साथ संचालित हो रही है। पिछले पाँच वर्षों के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल 6,289 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 6,152 हेक्टेयर क्षेत्र में योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 97.82 प्रतिशत है। यह योजना विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों के लिए सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रही है। वर्ष 2022–23 में योजना ने 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। वहीं 2021–22 एवं 2023–24 में भी लगभग पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति हुई, जो योजना की स्थिरता और किसानों की सक्रिय सहभागिता को दर्शाता है। योजना के क्रियान्वयन में निरंतर सुधार देखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में प्रभावी सिद्ध हो रही है।

5.1.3 राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना

यह योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों, जैसे ड्रिप सिंचाई, के माध्यम से सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसके तहत लघु और सीमांत कृषकों को 5 हेक्टेयर तक क्षेत्र के लिए इकाई लागत का 55% और बड़े कृषकों को 45% अनुदान दिया जाता है। राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रहाः–

Table 3: राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	अनुमानित (लक्ष्य) (हेक्टेयर में)	वास्तविक (पूर्ति) (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	777	297.1	38.24
2020-21	777	312	40.15
2021-22	आंकड़े उपलब्ध नही		
2022-23	400	445.8	111.50
2023-24	400	390	97.50
कुल	**2354**	**1445**	**61.38**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना का आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक दो वर्षों (2019–20 एवं 2020–21) में योजना की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही, जहाँ लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि क्रमशः 38.24% और 40.15% ही हो सकी। वर्ष 2021–22 में कोई कार्य नहीं हुआ। हालांकि, वर्ष 2022–23 में योजना ने असाधारण प्रगति करते हुए 400 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 445.8 हेक्टेयर की उपलब्धि प्राप्त की, जो 111.5% है। इसी प्रकार, 2023–24 में भी योजना की उपलब्धि 97.5% रही, जो यह दर्शाता है कि हाल के वर्षों में योजना का क्रियान्वयन अधिक सशक्त एवं प्रभावी हुआ है। कुल मिलाकर, पाँच वर्षों में 2354 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 1445 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई, जिससे कुल प्राप्ति प्रतिशत 61.38% रहा। इससे स्पष्ट होता है कि योजना में धीरे–धीरे प्रगति हुई है, लेकिन प्रारंभिक वर्षों की अपेक्षा अंतिम वर्षों में इसका प्रदर्शन कहीं अधिक बेहतर रहा है।

5.1.4 सामुदायिक फेंसिंग योजना

इस योजना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों को बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषक समूहों को फेंसिंग के लिए प्रोत्साहन देना है। इसमें कृषक समूहों को 0.50 हेक्टेयर से लेकर 2.00 हेक्टेयर तक क्षेत्र के लिए इकाई लागत पर 50% अनुदान दिया जाता है। सामुदायिक फेंसिंग योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रहाः–

Table 4: सामुदायिक फेंसिंग योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूति

वर्ष	अनुमानित (लक्ष्य) (हेक्टेयर में)	वास्तविक (पूर्ति) (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	945.9	643.4	68.02
2020-21	954.4	891.9	93.45
2021-22	954.3	928.2	97.26
2022-23	1101	1089	98.90
2023-24	1652	1621	98.13
कुल	**5608**	**5173**	**92.26**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

सामुदायिक फेंसिंग योजना ने विगत पाँच वर्षों में निरंतर प्रगति की है और कृषक समुदायों के लिए एक कारगर साधन साबित हुई है। योजना के तहत कुल 5608 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 5173 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य संपन्न हुआ, जो कि 92.26% की उच्च उपलब्धि है। वर्ष 2019–20 में लक्ष्य पूर्ति केवल 68.02% रही। किन्तु अगले वर्षों में लगातार लक्ष्य प्राप्ति में सुधार हुआ। वर्ष 2022–23 और 2023–24 में लक्ष्य की पूर्ति क्रमशः 98.9% और 98.13% रही, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का संकेत

5.1.5 सब्जी फसलों के विविधिकरण हेतु प्रदर्शन कार्यक्रम

यह योजना राज्य में सब्जी फसलों के विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुर्ग, बेमेतरा, रायगढ़ और जशपुर जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में मिर्च, टमाटर और फुलगोभी के फसल प्रदर्शन के लिए 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर रू.3000 का शत प्रतिशत अनुदान और अरबी फसल प्रदर्शन के लिए रू.5400 का शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। सब्जी फसलों के विविधिकरण हेतु प्रदर्शन कार्यक्रम अंर्तगत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रहाः–

Table 5: सब्जी फसलों के विविधिकरण हेतु प्रदर्शन कार्यक्रम अंर्तगत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	अनुमानित (लक्ष्य) (संख्या में)	वास्तविक (पूर्ति) (संख्या में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	1222	1045	85.52
2020-21	1264	1158	91.59
2021-22	1327	1331	100.29
2022-23	1357	1357	100.00

2023-24	1365	1378	100.95
कुल	**6535**	**6270**	**95.94**

(स्त्रोतः— विभागीय प्रकाशन—2019—20 से 2023—24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन कार्यक्रम के पाँच वर्षीय आँकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि योजना ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल 6535 लक्ष्यों के सापेक्ष 6270 प्रदर्शन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए, जिससे कुल प्राप्ति प्रतिशत 95.94% रहा। वर्ष 2019—20 में लक्ष्य प्राप्ति अपेक्षाकृत कम (85.52%) रही। किंतु इसके बाद के चार वर्षों में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज की गई, विशेष रूप से 2020—21 में 91.59%, 2021—22 में 100.29%, 2022—23 में 100% और 2023—24 में 100.95% प्राप्ति दर्ज की गई। यह निरंतर प्रगति योजना की लोकप्रियता, प्रशासनिक सुदृढ़ता और किसानों की भागीदारी को दर्शाती है।

5.2 केन्द्र प्रवर्तित योजना

5.2.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना

यह योजना राज्य के 24 जिलों में संचालित की जा रही है, जिसमें बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, रायपुर, और अन्य जिले शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत 2023—24 में कुल रू.15395.65 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। योजना के विभिन्न घटक राज्य में बागवानी फसलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें फलोद्यान, फूलों की खेती, और अन्य बागवानी उत्पादों का शामिल किया गया है।

5.2.1.1 रोपण अधोसंरचना विकास योजना—

इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री और बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न घटकों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया हैः—

Table 6: रोपण अधोसंरचना विकास योजना अंर्तगत विभिन्न घटकों के लिए अनुदान का प्रावधान

क्र.	घटक	समग्र लागत	अनुदान विवरण	अधिकतम अनुदान
1	**हाईटेक नर्सरी (4 हेक्टेयर)**	रू.25 लाख प्रति हेक्टेयर	शासकीय क्षेत्रः 100% निजी क्षेत्रः 40%	रू.100.00 लाख (शासकीय क्षेत्र) रू.40 लाख (निजी क्षेत्र)
2	**छोटी नर्सरी (1 हेक्टेयर)**	रू.15 लाख प्रति नर्सरी	शासकीय क्षेत्रः 100% निजी क्षेत्रः 50%	रू.15.00 लाख (शासकीय क्षेत्र) रू.7.50 लाख (निजी क्षेत्र)
3	**पुरानी नर्सरी का जीर्णोद्धार (4 हेक्टेयर)**	रू.10 लाख प्रति नर्सरी	शासकीय क्षेत्रः 100% निजी क्षेत्रः 50%	रू.10.00 लाख (शासकीय क्षेत्र) रू.5.00 लाख (निजी क्षेत्र)
4	**सब्जी के बीजों का उत्पादन एवं वितरण**	रू.35,000 प्रति हेक्टेयर	शासकीय क्षेत्रः 100% निजी क्षेत्रः 35%	रू.35,000 प्रति हेक्टेयर (शासकीय क्षेत्र) रू.12,250 प्रति हेक्टेयर (निजी क्षेत्र)

5	**टिशू कल्चर (टीसी) इकाई का पुनर्वास**	रू.20.00 लाख प्रति इकाई	शासकीय क्षेत्रः 100% निजी क्षेत्रः 50%	रू.20.00 लाख (शासकीय क्षेत्र) रू.10.00 लाख (निजी क्षेत्र)
6	**सब्जी के बीजों का उत्पादन एवं वितरण**	रू.35,000 प्रति हेक्टेयर	शासकीय क्षेत्रः 100% निजी क्षेत्रः 35%	रू.35,000 प्रति हेक्टेयर (शासकीय क्षेत्र) रू.12,250 प्रति हेक्टेयर (निजी क्षेत्र)
7	**सब्जी के बीजों का उत्पादन एवं वितरण**	रू.1.50 लाख प्रति हेक्टेयर	शासकीय क्षेत्रः 100% निजी क्षेत्रः 35%	रू.1.50 लाख प्रति हे. (शासकीय क्षेत्र) रू.52,500 प्रति हेक्टेयर (निजी क्षेत्र)
8	**बीज अधोसंरचना (बागवानी फसलों के बीजों के लिए)**	रू.200.00 लाख प्रत्येक परियोजना	शासकीय क्षेत्रः 100% निजी क्षेत्रः 50%	रू.200.00 लाख (शासकीय क्षेत्र) रू.100.00 लाख (निजी क्षेत्र)

(स्त्रोतः— विभागीय प्रकाशन—2019—20 से 2023—24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

रोपण अधोसंरचना विकास योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों में प्रगति निम्नानुसार हैः—

Table 7: रोपण अधोसंरचना विकास योजना अंर्तगत विगत पांच वर्षों में प्रगति

वर्ष	पौधा रोपण उत्पादन (इकाई—संख्या)			बीज उत्पादन (इकाई—संख्या)		
	अनुमानित (लक्ष्य) (संख्या में)	**वास्तविक (पूर्ति)** (संख्या में)	**उपलब्धि** (प्रतिशत)	**अनुमानित (लक्ष्य)** (संख्या में)	**वास्तविक (पूर्ति)** (संख्या में)	**उपलब्धि** (प्रतिशत)
2019-20	17	15	88.24	80	78	97.5
2020-21	63	50	79.37	82	58	71.3
2021-22	24	1	4.16	132	114	86.36
2022-23	43	13	30.23	220	147	66.82
2023-24	4	4	100	139	54	38.85
कुल	**151**	**83**	**54.97**	**686**	**476**	**69.32**

(स्त्रोतः— विभागीय प्रकाशन—2019—20 से 2023—24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

रोपण अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत प्रस्तुत आँकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि बीज उत्पादन की तुलना में पौधे उत्पादन घटक की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। विगत पाँच वर्षों में पौधा उत्पादन घटक के लिए कुल 151 लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 83 उपलब्धियाँ दर्ज की गईं, जिससे प्राप्ति प्रतिशत 54.97% रहा। वहीं बीज उत्पादन घटक में कुल 686 लक्ष्यों में से 476 उपलब्धियाँ दर्ज की गईं, जिससे प्राप्ति प्रतिशत 69.32% रहा। वर्ष 2021—22 में पौधा उत्पादन की प्राप्ति अत्यंत कम (4.16%) रही, जो योजना के क्रियान्वयन में बाधाओं की ओर संकेत करती है। हालांकि 2023—24 में पौध उत्पादन का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त किया गया (100%) जो योजना की आंशिक प्रगति को दर्शाता है। बीज उत्पादन घटक में वर्ष 2019—20 और 2021—22 में अपेक्षाकृत अच्छी उपलब्धि

रही, किंतु 2023–24 में यह घटकर 38.85% रह गई। संक्षेप में कहा जाए तो योजना की अवधारणा सकारात्मक एवं उपयोगी है।

5.2.2 नये उद्यानों की स्थापना

(a) फल क्षेत्र विस्तार

इस घटक में फलदार पौधों के रोपण के लिए अनुदान दिया जाता है:–

Figure 1: फलदार पौधों के रोपण के लिए प्रदान किये जाने वाले अनुदान

(b) सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

इस घटक में सब्जी रोपण के लिए अनुदान दिया जाता है:–

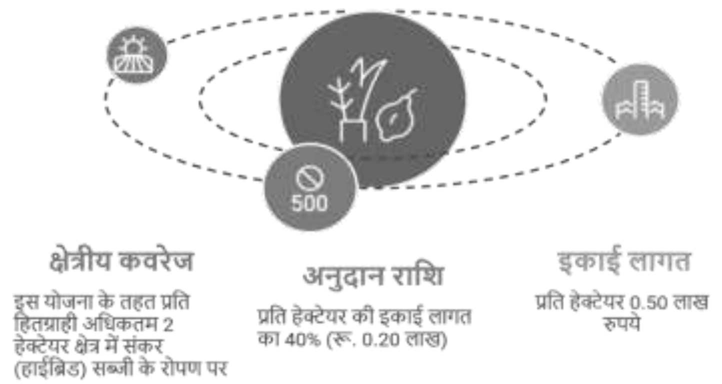

Figure 2: सब्जी रोपण के लिए प्रदान किए जाने वाले अनुदान

(c) मशरूम उत्पादन योजना

मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं, जिनमें उत्पादन इकाई, स्पॉन बनाने की इकाई और कम्पोस्ट इकाई शामिल हैं।

Figure 3: मशरूम उत्पादन योजना अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले अनुदान

(d) **पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना**

इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पुष्पों के रोपण के लिए अनुदान दिया जाता है।

Figure 4: पुष्पों के रोपण के लिए प्रदान किए जाने वाले अनुदान

लघु सीमांत किसानों को 40% और बड़े किसानों को 25% तक का अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दिया जाता है।

(e) **मसाला क्षेत्र विस्तार योजना**

इस योजना के अंतर्गत मसाला फसलों के रोपण पर अनुदान निम्नानुसार दिया जाता है:–

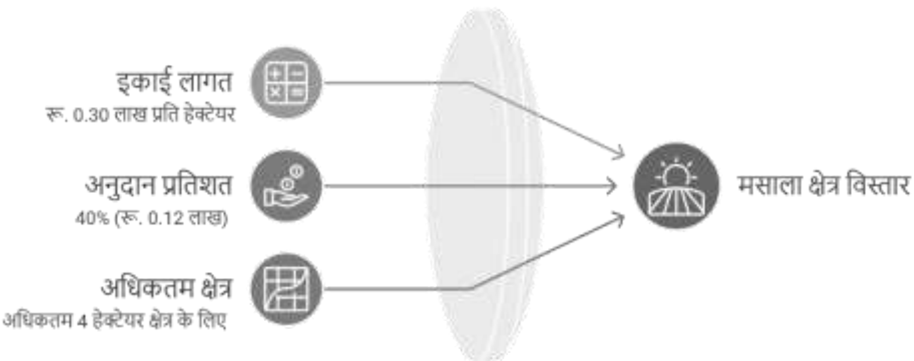

Figure 5: मसाला फसलों के रोपण पर अनुदान

(f) औषधि एवं सुगंधित फसलों का क्षेत्र विस्तार योजना

इस योजना में औषधि और सुगंधित फसलों के जैसे एलोवेरा, लेमनग्रास, मिन्ट, पचौली, स्टीविया, ई. सिट्रीडोरा आदि के रोपण के लिए निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है।:–

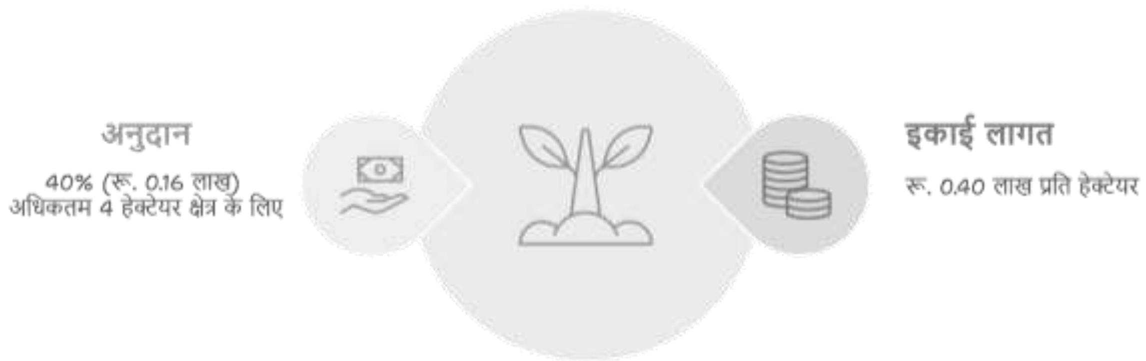

Figure 6: औषधि एवं सुगंधित फसलों का क्षेत्र विस्तार योजना अंर्तगत दिए जाने वाले अनुदान

(g) प्लांटेशन क्रॉप (काजू पौधों का रोपण)

काजू पौधों के रोपण के लिए प्रति हेक्टेयर रू.0.50 लाख की इकाई लागत पर किसानों को 40% तक (रू.0.20 लाख) का अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान तीन किश्तों में (60:20:20 के अनुपात में) दिया जाता है। अनुदान की राशि पौधों की जीवितता प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मान्य है।

प्लांटेशन क्रॉप योजना में नये उद्यानों की स्थापना अंर्तगत विगत पांच वर्षों में घटकवार प्रगति निम्नानुसार है:–

Table 8: नये उद्यानों की स्थापना अंर्तगत विगत पांच वर्षों में घटकवार प्रगति

वर्ष →	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			कुल		
घटक ↓	Est.	Act.	Ach.	Est.	Act.	Ach.	Est.	Act.	Ach.	Est.	Act.	Ach.	Est.	Act.	Ach.	Est.	Act.	Ach.
फल क्षेत्र विस्तार (हे.)	3500	3363	96.09	3602	2909	80.76	3700	3409	92.12	3295	2984	90.56	3200	2951	92.21	**17297**	**15615**	**90.28**
सब्जी क्षेत्र विस्तार (हे.)	3660	3363	91.89	13390	6153	45.95	6000	6063	101	5250	5778	110.1	7764	11746	151.3	**36064**	**33103**	**91.79**

मशरूम उत्पादन योजना (संख्या)	8	4	50	69	58	84.06	30	25	83.33	14	14	100	12	12	100	**133**	**113**	**84.96**
पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना (हे.)	1450	1363	94	1652	1210	73.24	1560	1548	99.21	1520	1500	98.68	1330	1273	95.71	**7512**	**6894**	**91.77**
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना (हे.)	4950	4573	92.38	3000	2776	92.53	3300	3155	95.61	3125	3023	96.74	2185	1459	66.76	**16560**	**14986**	**90.49**
औषधि एवं सुगंधित फसलों का क्षेत्र विस्तार योजन	100	50	50	आंकड़े उपलब्ध नही			100	60	60	200	100	50	100	88	88	**500**	**298**	**59.60**

ा (हे.)																	
काजू प्लांटेशन (हे.)	1500	966	64.4	1000	657	65.7	600	135.6	22.6	300	197	65.67	265	240	90.57	**3665**	**2196**	**59.91**

Est. : अनुमानित (लक्ष्य), Act. : वास्तविक (पूर्ति), Ach. : उपलब्धि (प्रतिशत)
(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि में नए उद्यानों की स्थापना योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित उपलब्धियों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि योजना का निष्पादन समग्र रूप से संतोषजनक रहा है, यद्यपि इसकी प्रगति सभी घटकों में समान रूप से नहीं हुई है। कुछ प्रमुख घटकों – जैसे फल, सब्जी, पुष्प एवं मसाला क्षेत्र विस्तार में लक्ष्यों के 90% से अधिक की उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है।

फल क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत निर्धारित 17,297 हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 15,615 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य पूर्ण किया गया, जो 90.28% की उपलब्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार, सब्जी क्षेत्र विस्तार में 91.79%, पुष्प क्षेत्र में 91.77%, तथा मसाला क्षेत्र में 90.49% की प्राप्ति दर्ज की गई, जो योजना की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। मशरूम उत्पादन योजना में अपेक्षाकृत कम प्रगति रही, जहाँ 133 लक्षित इकाइयों में से केवल 113 इकाइयों की स्थापना हो सकी, जो 84.96% की उपलब्धि को दर्शाती है। जबकि यह आंकड़ा संतोषजनक है, फिर भी यह अन्य सफल घटकों की तुलना में थोड़ी कम प्रगति को इंगित करता है। इसके विपरीत, औषधीय एवं सुगंधित फसलों तथा कांजू प्लांटेशन योजना में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन देखा गया। औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार में मात्र 59.60% तथा कांजू प्लांटेशन में 59.91% लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जो इन घटकों में रणनीतिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि योजना के अधिकांश घटकों में संतोषजनक प्रगति हुई है, किन्तु कुछ विशिष्ट घटकों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न हो पाना, योजना के क्रियान्वयन में सुधारात्मक प्रयासों की आवश्यकता को इंगित करता है।

5.2.3 संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस):–

संरक्षित वातावरण में उच्च मूल्य वाली उद्यानिकी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, और मल्चिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके तहत विभिन्न सुविधाओं पर इकाई लागत का 50% तक अनुदान दिया जाता है।

संरक्षित खेती योजना अंतर्गत विगत पांच वर्षों में प्रगति निम्नानुसार है:–

Table 9: संरक्षित खेती योजना अंतर्गत विगत पांच वर्षों में प्रगति

वर्ष	ग्रीन हाउस/पॉली हाउस/शेडनेट हाउस (इकाई–वर्ग मीटर)			मल्चिंग शीट (इकाई–हेक्टेयर)		
	अनुमानित (लक्ष्य) (वर्ग मीटर में)	वास्तविक (पूर्ति) (वर्ग मीटर में)	उपलब्धि (प्रतिशत)	अनुमानित (लक्ष्य) (हेक्टेयर में)	वास्तविक (पूर्ति) (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	50	27.15	54.30	7500	6076	81.01
2020-21	25.21	57.7	228.88	6678	2912	43.61
2021-22	59.6	74.19	124.48	2000	1949	97.45
2022-23	55.4	55.03	99.33	4332	4214	97.28
2023-24	88.5	97.4	110.06	3500	3186	91.03
कुल	**278.71**	**311.47**	**111.75**	**24010**	**18337**	**76.37**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस, पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना के लिए 278.71 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 311.47 हेक्टेयर की उपलब्धि हुई, जो 111.75% है। यह योजना की सफलता और प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है। वर्ष 2021–22 में सर्वाधिक प्रगति (228.87 हे.) दर्ज की गई, जबकि 2020–21 एवं 2022–23 में अपेक्षाकृत कम प्राप्ति रही। वर्ष 2023–24 में प्राप्ति में पुनः सुधार देखा गया। मल्चिंग शीट स्थापना हेतु 24010 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया, जिसके सापेक्ष 18336.74 हेक्टेयर (76.37%) की प्राप्ति हुई। वर्ष 2020–21 में न्यूनतम प्राप्ति रही, जबकि बाद के तीन वर्षों में 90% से अधिक उपलब्धि दर्ज की गई, जिससे योजना की स्थिरता और सुधार स्पष्ट होता है।

5.2.4 मधुमक्खी पालन द्वारा परागण सहायता

मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण सहायता के लिए मधुमक्खी कॉलोनी और छत्तों के लिए सहायता का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है। जिसमें रागण में सहायता प्रदान करने हेतु, हितग्राहियों को अधिकतम 50 मधुमक्खी कॉलोनियों तथा 50 मधुमक्खी छत्तों की इकाई लागत रु. 2000 प्रति कॉलोनी/छत्ता के आधार पर 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।

इसी प्रकार, शहद निष्कर्षण हेतु चार फ्रेमयुक्त फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलोग्राम क्षमता) एवं जाली सहित उपकरणों की इकाई लागत रु. 20,000 निर्धारित की गई है, जिस पर प्रति हितग्राही अधिकतम एक सेट के लिए 40 प्रतिशत अनुदान अनुमेय है। मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण सहायता योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में प्रगति निम्नानुसार हैः–

Table 10: मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण सहायता योजना की विगत पांच वर्षों में प्रगति

वर्ष	अनुमानित (लक्ष्य) (संख्या में)	वास्तविक (पूर्ति) (संख्या में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	5000	5000	100
2020-21	34744	24543	70.64
2021-22	16360	16360	100
2022-23	16360	7100	43.40
2023-24	5100	4906	96.19
कुल	**77564**	**57909**	**98.55**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण सहायता योजना के अंतर्गत कुल 77,564 इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध 57,909 इकाइयों का वितरण किया गया, जो लक्ष्य का 74.66 प्रतिशत है। योजना ने वर्ष 2019–20, 2021–22 तथा 2023–24 में अपेक्षित से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि वर्ष 2020–21 और विशेषतः 2022–23 में प्राप्ति अपेक्षाकृत कम रही। समग्रतः योजना की प्रगति मध्यम स्तर की रही है, जो इसके क्रियान्वयन में निरंतरता एवं संसाधनों की नियमित उपलब्धता की आवश्यकता को इंगित करती है।

5.2.5 उद्यानिकी यंत्रीकरण योजना

उद्यानिकी क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि उपकरणों पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसमें 20 पीटीओ एचपी तक के ट्रैक्टर के लिए इकाई लागत रु. 3.00 लाख निर्धारित है। सामान्य वर्ग के किसानों को इस पर अधिकतम रु. 75,000 (25 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम रु. 1,00,000 (35 प्रतिशत) तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार, 8 बीएचपी से कम क्षमता वाले पावर टिलर की इकाई लागत रु. 1.00 लाख है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम रु. 40,000 तथा उपरोक्त विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम रु. 50,000 तक का अनुदान निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले शक्ति चालित नेपसेक स्प्रेयर हेतु इकाई लागत रु. 0.20 लाख निर्धारित है, जिस पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम रु. 8,000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम रु. 10,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।

उद्यानिकी यंत्रीकरण के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में अनुदान के लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रहाः–

Table 11: उद्यानिकी यंत्रीकरण के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में अनुदान के लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	अनुमानित (लक्ष्य) (संख्या में)	वास्तविक (पूर्ति) (संख्या में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	2400	1142	47.58%
2020-21	4797	2360	49.19%
2021-22	1043	856	82.07%
2022-23	1660	1629	98.13%
2023-24	2680	2560	95.52%

कुल	**12580**	**8547**	**67.94%**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि में उद्यानिकी यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत कुल 12,580 इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध 8,547 इकाइयों की उपलब्धि दर्ज की गई, जो कुल लक्ष्य का 67.94 प्रतिशत है। यह योजना की सीमित परंतु स्थिर प्रगति को दर्शाता है।
प्रारंभिक वर्षों में, जैसे कि वर्ष 2019–20 में मात्र 47.58 प्रतिशत एवं 2020–21 में 49.19 प्रतिशत की उपलब्धि हुई, जो योजना के धीमे क्रियान्वयन की ओर संकेत करती है। इसके विपरीत, वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में क्रमशः 82.07 प्रतिशत, 98.13 प्रतिशत एवं 95.52 प्रतिशत प्राप्ति दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना ने उत्तरवर्ती वर्षों में उल्लेखनीय सुधार और स्थिरता प्राप्त की।

5.2.6 मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)
माली प्रशिक्षण हेतु परियोजना प्रस्ताव के आधार पर प्रति प्रशिक्षण रू. 15.00 लाख, राज्य के अंदर कृषकों के प्रशिक्षण हेतु रू. 1000 प्रतिदिन प्रति कृषक तथा राज्य एवं देश के बाहर किसानों के प्रभावन दौरा हेतु परियोजना प्रस्ताव के आधार पर अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान है। मानव संसाधन विकास के विगत पांच वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है–

Table 12: मानव संसाधन विकास अंतर्गत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	अनुमानित (लक्ष्य) (संख्या में)	वास्तविक (पूर्ति) (संख्या में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2019-20	6067	5866	96.69
2020-21	9438	4835	51.23
2021-22	1500	1186	79.07
2022-23	5660	4312	76.18
2023-24	4504	2754	61.15
कुल	**27169**	**18953**	**69.76**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि में माली प्रशिक्षण, कृषक प्रशिक्षण एवं प्रभावन दौरे जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) योजना में कुल 27,169 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके विरुद्ध 18,953 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह कुल लक्ष्य का 69.76 प्रतिशत है, जो योजना की आंशिक सफलता को दर्शाता है।
वर्ष 2019–20 में 96.69 प्रतिशत प्राप्ति के साथ योजना का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। हालांकि, वर्ष 2020–21 में यह घटकर 51.23 प्रतिशत रह गया, जो योजना की प्रगति में गिरावट का संकेत है। इसके बाद वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में क्रमशः 79.07 प्रतिशत एवं 76.18 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ स्थिति में सुधार देखा गया। वर्ष 2023–24 में प्राप्ति 61.15 प्रतिशत रही, जो दर्शाता है कि योजना में स्थिरता तो रही, परंतु अपेक्षित सुधार की आवश्यकता बनी रही।

5.2.7 एकीकृत कटाई पश्चात प्रबंधन

उद्यानिकी फसलों की तुड़ाई के पश्चात् होने वाले नुकसान को कम करने, भण्डारण क्षमता को बढ़ाने तथा प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पैक हाउस, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट एवं प्रिजर्वेशन यूनिट की स्थापना पर इकाई लागत का 35% से 50% तक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन संरचनाओं की अनुमानित इकाई लागत इस प्रकार है– पैक हाउस (9X6 मीटर) हेतु रु. 4.00 लाख, कोल्ड रूम (30 मीट्रिक टन) हेतु रु. 15.00 लाख, कोल्ड स्टोरेज के लिए रु. 8,000 प्रति मीट्रिक टन, प्रोसेसिंग यूनिट हेतु रु. 25.00 लाख तथा प्रिजर्वेशन यूनिट के लिए रु. 2.00 लाख निर्धारित की गई है।

विगत पाँच वर्षों की प्रगति इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित रूप में दर्ज की गई है–

Table 13: एकीकृत कटाई पश्चात प्रबंधन के अंतर्गत लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	**अनुमानित (लक्ष्य)** (संख्या में)	**वास्तविक (पूर्ति)** (संख्या में)	**उपलब्धि (प्रतिशत)**
2019-20	1702	1054	61.93
2020-21	2892	1047	36.20
2021-22	431	299	69.37
2022-23	383	346	90.34
2023-24	690	443	64.20
कुल	**6098**	**3189**	**52.30**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ. ग.)

5.2.8 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य सीमित जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तथा सामान्य किसानों को 45 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम 5 हेक्टेयर जोत सीमा तक लागू है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रहाः–

Table 14:प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत विगत पांच वर्षों के लक्ष्य एवं पूर्ति

वर्ष	**ड्रिप (इकाई–हेक्टेयर)**			**स्प्रिंकलर (इकाई–हेक्टेयर)**		
	अनुमानित (लक्ष्य) (हेक्टेयर में)	**वास्तविक (पूर्ति)** (हेक्टेयर में)	**उपलब्धि** (प्रतिशत)	**अनुमानित (लक्ष्य)** (हेक्टेयर में)	**वास्तविक (पूर्ति)** (हेक्टेयर में)	**उपलब्धि** (प्रतिशत)
2019-20	5000	2684	53.68	19500	8813	45.19
2020-21	5000	3759	75.18	7478	3366	45.01
2021-22	5000	4133	82.66	7326	1391	18.99

2022-23	7000	1767.28	25.25	2500	140.07	5.60
2023-24	आंकड़े उपलब्ध नही					
कुल	**22000**	**12343.28**	**56.11**	**36804**	**13710.07**	**37.25**

(स्त्रोतः– विभागीय प्रकाशन–2019–20 से 2023–24, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लक्षित किया गया, जिसके विरुद्ध 12,343.28 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई, जो लक्ष्य का 56.11 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 में सर्वाधिक 82.66 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2022–23 में यह घटकर 25.25 प्रतिशत रह गई। स्प्रिंकलर प्रणाली के अंतर्गत इसी अवधि में 36,804 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 13,710.07 हेक्टेयर की प्राप्ति हुई, जो कुल लक्ष्य का 37.25 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 में इसमें न्यूनतम 5.60 प्रतिशत की प्राप्ति हुई, जो योजना की धीमी प्रगति को दर्शाता है।

ड्रिप प्रणाली में योजना का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा, परंतु स्प्रिंकलर प्रणाली में लगातार गिरावट देखी गई। समग्र रूप से योजना की प्रभावशीलता सीमित रही है।

6. छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता का विश्लेषण

छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी कृषि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां छत्तीसगढ़ में प्रमुख उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता का विवरण निम्नानुसार है–

6.1 कुल उद्यानिकी क्षेत्रफल की प्रवृत्ति

वर्षवार कुल आंकड़े और वार्षिक प्रतिशत परिवर्तनः–

Table 15: उद्यानिकी क्षेत्रफल की प्रवृत्ति (हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)	प्रवृत्ति मान (ट्रेंड वैल्यू) (हजार हेक्टेयर)	वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन (प्रतिशत)
2019-20	861.603	827.982	-
2020-21	796.591	823.031	-7.54%
2021-22	802.416	818.080	0.73%
2022-23	810.769	813.129	1.04%
2023-24	797.543	808.179	-1.63%
2024-25	824.706	803.228	3.40%

(स्त्रोतः– उद्यानिकी सांख्यिकी–2019–2020 से 2024–25, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

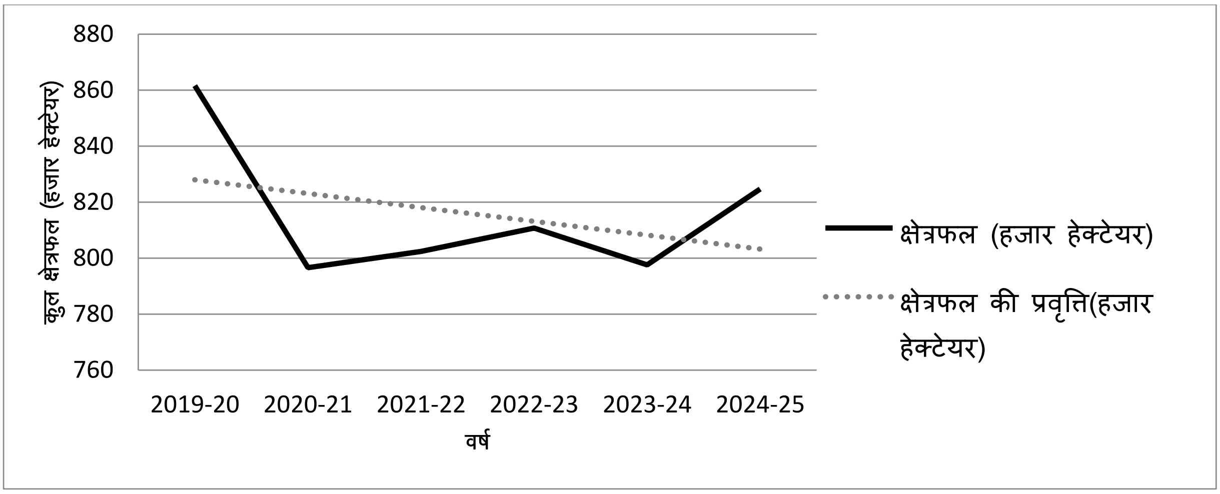

Figure 7: उद्यानिकी क्षेत्रफल की प्रवृत्ति

(स्त्रोतः– उद्यानिकी सांख्यिकी–2019–2020 से 2024–25, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल उद्यानिकी क्षेत्रफल की प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019–20 में कुल क्षेत्रफल 861.603 हजार हेक्टेयर था, जो 2020–21 में घटकर 796.591 हजार हेक्टेयर रह गया। यह 7.54 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट दर्शाता है, जो संभवतः कोविड–19 महामारी के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों का परिणाम रहा। इसके पश्चात, 2021–22 और 2022–23 में क्रमशः 0.73 प्रतिशत तथा 1.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा किसानों की सक्रिय सहभागिता का सकारात्मक संकेत है। वर्ष 2023–24 में क्षेत्रफल में पुनः 1.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। तथापि, 2024–25 में 3.40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ कुल क्षेत्रफल 824.706 हजार हेक्टेयर तक पहुँच गया, जो योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी सहयोग, वित्तीय प्रोत्साहन और किसानों में बढ़ती जागरूकता का परिणाम प्रतीत होता है।

6.2 कुल उद्यानिकी उत्पादन की प्रवृत्ति (हजार मीट्रिक टन में)

वर्षवार कुल आंकड़े और वार्षिक प्रतिशत परिवर्तनः–

Table 16: उद्यानिकी उत्पादन की प्रवृत्ति (हजार मीट्रिक टन में)

वर्ष	कुल उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	प्रवृत्ति मान (ट्रेंड वैल्यू) (हजार मीट्रिक टन)	वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन %
2019-20	10197.755	10035.402	-
2020-21	10061.597	10072.205	-1.34%
2021-22	10020.918	10109.009	-0.40%
2022-23	10032.954	10145.812	0.12%
2023-24	9903.273	10182.615	-1.29%
2024-25	10547.965	10219.418	6.51%

(स्त्रोतः– उद्यानिकी सांख्यिकी–2019–2020 से 2024–25, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

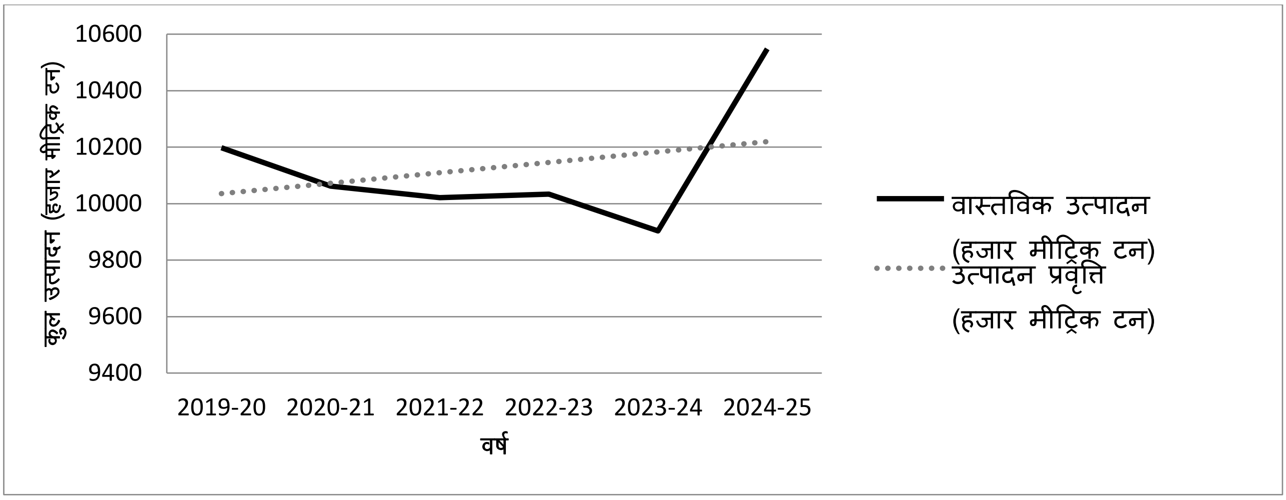

Figure 8: उत्पादन की प्रवृत्ति

(स्त्रोतः– उद्यानिकी सांख्यिकी–2019–2020 से 2024–25, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

वर्ष 2019–20 से 2024–25 तक कुल परिवर्तन +350.210 हजार मीट्रिक टन, प्रतिशत परिवर्तन +3.43% एवं समग्र रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, हालांकि वर्ष–दर–वर्ष कुछ उतार–चढ़ाव भी मौजूद हैं। कुल बागवानी उत्पादन की यह प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ में बागवानी क्षेत्र की उत्पादन क्षमताओं और प्रभावशीलता का संकेत देती है। इस दौरान देखे गए उतार–चढ़ाव जलवायु परिस्थितियाँ, उत्पादन तकनीकों, बाजार की मांग तथा सरकारी नीतियों जैसे विभिन्न कारणों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि बीच के वर्षों में कुछ गिरावट देखी गई, लेकिन समग्र रूप से यह क्षेत्र धीरे–धीरे उत्पादन में वृद्धि की ओर अग्रसर है।

6.3 कुल उद्यानिकी उत्पादकता की प्रवृत्ति (मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर)

वर्षवार कुल उत्पादकता और वार्षिक परिवर्तनः–

Table 17: उद्यानिकी उत्पादकता की प्रवृत्ति (मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	कुल उत्पादकता (मीट्रिक टन/हेक्टेयर)	प्रवृत्ति मान (ट्रेंड वैल्यू) (मीट्रिक टन/हेक्टेयर)	वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन %
2019-20	11.835793	12.136	-
2020-21	12.630819	12.251	6.72%
2021-22	12.488432	12.365	-1.13%
2022-23	12.374615	12.48	-0.91%
2023-24	12.417228	12.595	0.34%
2024-25	12.789970	12.71	3.00%

(स्त्रोतः– उद्यानिकी सांख्यिकी–2019–2020 से 2024–25, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

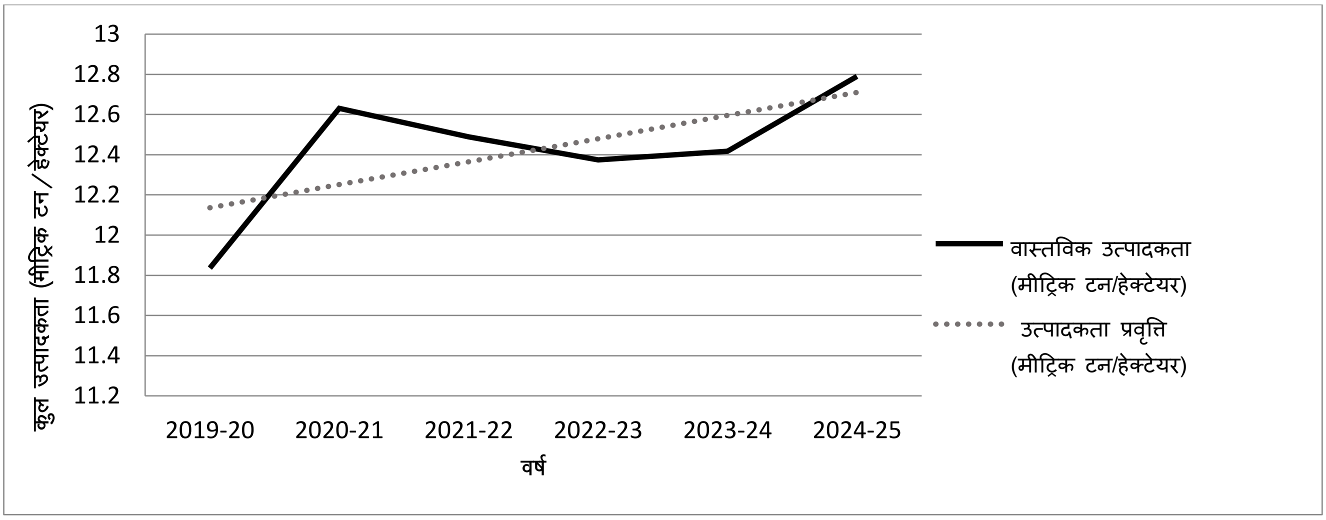

Figure 9: उद्यानिकी उत्पादकता की प्रवृत्ति

(स्त्रोतः– उद्यानिकी सांख्यिकी–2019–2020 से 2024–25, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, संचालनालय, रायपुर, छ.ग.)

वर्ष 2019–20 से 2024–25 तक कुल परिवर्तन +0.954 मीट्रिक टन/हेक्टेयर, प्रतिशत परिवर्तन +8.06% समग्र रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, हालांकि वर्ष–दर–वर्ष उतार–चढ़ाव भी मौजूद हैं। कुल बागवानी उत्पादकता (मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर) की प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ राज्य में बागवानी क्षेत्र की समग्र दक्षता और उत्पादन क्षमता का संकेत देती है। इसमें देखे गए उतार–चढ़ाव विभिन्न कारकों का परिणाम हो सकते हैं, जैसे – जलवायु परिवर्तन, तकनीकी हस्तक्षेप, और बाजार की स्थिति। वर्ष–दर–वर्ष परिर्वतन और समग्र प्रवृत्ति यह स्पष्ट करते हैं कि बागवानी क्षेत्र धीरे–धीरे उत्पादकता के मामले में प्रगति कर रहा है, जिससे यह क्षेत्र राज्य की आर्थिक वृद्धि में सकारात्मक योगदान देने की दिशा में अग्रसर है।

समग्र निष्कर्ष

वर्ष 2019–20 से 2024–25 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के उद्यानिकी क्षेत्र का समेकित विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस दौरान कुल बागवानी क्षेत्रफल में 36.897 हजार हेक्टेयर की कमी आई है, जो कि 4.28 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। यह क्षेत्रफल में घटती प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, यद्यपि विभिन्न वर्षों में उतार–चढ़ाव भी देखे गए हैं। इसके विपरीत, कुल उत्पादन में 350.210 हजार मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 3.43 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। यह समग्र रूप से उत्पादन में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को उजागर करता है, हालांकि इसमें भी वर्षानुसार उतार–चढ़ाव देखे गए हैं।

इसी प्रकार, कुल उत्पादकता (मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर) में 0.954 की वृद्धि हुई है, जो 8.06 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर को दर्शाती है। यद्यपि इसमें भी स्थानीय स्तर पर उतार–चढ़ाव मौजूद रहे, फिर भी समग्र प्रवृत्ति उत्पादकता में सुधार की ओर इंगित करती है।

इन समेकित आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि कुछ फसलों के स्तर पर भिन्नताएँ एवं जटिलताएँ रही, फिर भी उद्यानिकी क्षेत्र में समग्र रूप से कुछ सकारात्मक प्रवृत्तियाँ उभरकर सामने आई हैं। विशेष रूप से वर्ष 2024–25 में उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि क्षेत्रफल में स्थिरता या हल्का उतार–चढ़ाव बना रहा, जो इस बात का संकेत है कि विश्लेषण की अंतिम अवधि में उत्पादन दक्षता में संभावित सुधार हुआ है।

7. योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं प्रभाव

योजनाओं के प्रभाव – अध्ययन आधारित केस स्टडी

छत्तीसगढ़ में कृषि मुख्य रूप से धान आधारित रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, पारंपरिक कृषि पद्धतियों और सीमित बाजार संभावनाओं के कारण किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र का विविधीकरण करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), बाड़ी विकास योजना, संरक्षित खेती योजना, सामुदायिक फेंसिंग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) जैसी कई योजनाएँ लागू की गईं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जल प्रबंधन सुविधाओं और विपणन सहायता प्रदान की गई, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और जीवन स्तर में सुधार हुआ।

इसमें 05 किसानों की केस स्टडी प्रस्तुत की गई हैं, जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया।

बाड़ी विकास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा

ग्राम नवागांव (बसना) के कृषक पहले केवल धान की खेती करते थे, लेकिन अधिक लागत और कम मुनाफे के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। बाड़ी विकास योजना के तहत उन्होंने उद्यानिकी विभाग से तकनीकी सहायता, उन्नत बीज और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ उठाकर भिंडी की खेती शुरू की। इससे उनका उत्पादन 16 क्विंटल से बढ़कर 4 टन प्रति एकड़ और आय 20,000 से बढ़कर 80,000 रुपये हो गई। लागत में कमी और मुनाफा बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई।(Success Story_Horticulture n.d.)

संरक्षित खेती से उत्पादन में वृद्धि

ग्राम झलमला (बालोद) के कृषक पहले पारंपरिक रूप से धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन सिंचाई की समस्या और बढ़ती लागत के कारण उनकी आय सीमित थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) योजना के तहत उन्होंने शेडनेट हाउस योजना का लाभ उठाकर बरबट्टी की खेती शुरू की। ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद जैसी तकनीकों से उनका उत्पादन 19 क्विंटल से बढ़कर 42 क्विंटल और आय 18,500 रुपये से बढ़कर 42,000 रुपये हो गई। (Success Story_Horticulture n.d.)

महिला सशक्तिकरण – प्लास्टिक मल्चिंग से दोहरा मुनाफा

ग्राम झींकाटोला (डौंडी) के कृषक पहले पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन अधिक मेहनत और कम मुनाफे के कारण आर्थिक रूप से कमजोर थीं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के तहत उन्होंने प्लास्टिक मल्चिंग योजना का लाभ लेकर खीरा, करेला, गोभी और बैंगन की खेती शुरू की। इससे नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई की जरूरत में कमी आई, जिससे उत्पादन 15 क्विंटल से बढ़कर 35 क्विंटल और आय 17,000 से बढ़कर 40,000 रुपये हो गई। (Success Story_Horticulture n.d.)

केला उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि

ग्राम कसावाही (धमतरी) के कृषक पहले पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन जल की कमी और अधिक लागत के कारण उनकी आय सीमित थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत उन्होंने 1.50 एकड़ भूमि में 1500 केले के पौधे लगाए और टिशू कल्चर तकनीक अपनाई। सरकार की सहायता से ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद का उपयोग कर उन्होंने उत्पादन 27 क्विंटल से बढ़ाकर 300 क्विंटल कर लिया। इससे उनका शुद्ध लाभ 2,45,500 रुपये तक पहुँच गया और उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आई। (Success Story_Horticulture n.d.)

सामुदायिक फेंसिंग से फसल सुरक्षा और अधिक लाभ

ग्राम लाफिनखुर्द (महासमुंद) के कृषक पहले धान और सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन मवेशियों से फसल नुकसान और अधिक लागत के कारण उनकी आय सीमित थी। सरकार की सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत उन्हें 50% अनुदान पर फेंसिंग पोल और चौनल लिंक की सुविधा मिली, जिससे उनकी फसल सुरक्षित हो गई। साथ ही, मसाला विकास योजना के तहत उन्होंने धनिया की खेती शुरू की, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि हुई। इस बदलाव के

बाद उनकी आय 19,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो गई, और अब वे सुरक्षित खेती से अधिक लाभ कमा रहे हैं। (Success Story_Horticulture n.d.)

8. निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में उद्यानिकी क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण तथा विविध आयामों वाली है। प्रस्तुत अध्ययन में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न उद्यानिकी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं ने कृषकों की आय में वृद्धि, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार तथा विपणन के नए अवसर प्रदान कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले पाँच वर्षों के आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि फलों के पौधरोपण, लघु सिंचाई, जल संरक्षण, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी विभिन्न राज्य पोषित एवं केंद्र प्रवर्तित योजनाओं ने राज्य के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्यानिकी विकास को गति दी है।

हालाँकि प्रारंभिक वर्षों में कुछ योजनाओं में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आईं, किंतु हाल के वर्षों में इनमें सकारात्मक सुधार दृष्टिगोचर हुआ है, जो राज्य सरकार की सक्रियता एवं कृषकों की बढ़ती सहभागिता को दर्शाता है। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही, यह भी सामने आया कि कुछ चुनौतियाँ, जैसे योजनाओं की पहुँच में असमानता, लाभ प्राप्त करने में विलंब अब भी विद्यमान हैं। अतः इनके समाधान के लिए शासन स्तर पर पारदर्शिता, सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन आवश्यक है।

निष्कर्षतः, यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन समन्वित दृष्टिकोण से किया जाए तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अनुकूलित किया जाए, तो छत्तीसगढ़ राज्य को उद्यानिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करते हुए कृषकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है।

संदर्भसूची:

1. Alnagarabi, Elsayed, E. E,M., Ahmed S., and Mohamed A. 2015. "IMPACT ANALYSIS OF THE GOVERNMENT POLICIES ON FRUIT AND VEGETABLE SECTOR IN SUDAN IN 2003 AND 2009." *Arab Universities Journal of Agricultural Sciences* 23(1):167–77. doi:10.21608/ajs.2015.14568.
2. Bhandari, Thaneshwar. 2023. "Assessment of Government Policies, Farm Subsidies, and Agriculture Growth." *State, Society and Development: PMPD Perspectives* 125–36. doi:10.3126/ssd.v1i1.58475.
3. Bhuarya, Hemant Kumar, A. S. R. A. S. Sastri, S. K. Chandrawanshi, Pandhurang Bobade, and Deepak K. Kaushik. 2018. "Agro-Climatic Characterization for Agro-Climatic Zone of Chhattisgarh." *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences* 7(08):108–17. doi:10.20546/ijcmas.2018.708.013.
4. Chikkalaki, Anil Sidaray, and B. Krishnamurthy. 2024. "Case Studies of Successful Fruit Crop Entrepreneurs." *International Journal of Agriculture Extension and Social Development* 7(1):415–18. doi:10.33545/26180723.2024.v7.i1f.240.
5. Dhruw, Y. S., H. K. Awasthi, and M. A. Khan. 2019. "Impact of National Horticulture Mission (NHM) on Socio-Economic Status of Turmeric Growers." *AGRICULTURE UPDATE* 14(3):214–19. doi:10.15740/HAS/AU/14.3/214-219.
6. Gupta, Akhilesh Kumar, Chinmayee Patra, Ravi Ranjan Kumar, and Mama Ta. 2019. "Growth and Instability Analysis of Area, Production and Yield of Major Cereals in Chhattisgarh Plains Zone of

Chhattisgarh." *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences* 8(12):128–33. doi:10.20546/ijcmas.2019.812.020.
7. Haldavanekar, Pradeep. 2023. *Basic Concepts in Horticulture*. 1st ed. New Delhi: New India Publishing Agency.
8. Hanif, Shahzaib. 2024. "Role of Horticulture in Addressing Food Security and Global Nutrition Challenges." *Cornous Biology* 2(1):45–51. doi:10.37446/corbio/ra/2.1.2024.45-51.
9. Jha, Girish K., A. Suresh, Bhoopesh Punera, and P. Supriya. 2019. "Growth of Horticulture Sector in India: Trends and Prospects." *The Indian Journal of Agricultural Sciences* 89(2). doi:10.56093/ijas.v89i2.87091.
10. Karan, Dr. Dev, and Mr. Mohit Rawat. 2024. "Role Of Government Policies In Shaping Vegetable Marketing Practices: Evidence FromRajasthan." *IOSR Journal of Economics and Finance* 15(5):03–08. doi:10.9790/5933-1505020308.
11. Mahendra, Rajan, and Anurag Saurabh. 2024. "Introduction of Horticulture."
12. Martikainen, Anna Agata. 2019. "INFLUENCE OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON THE RESILIENCE OF POLISH HORTICULTURE." *Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists* XXI(4):308–16. doi:10.5604/01.3001.0013.5839.
13. Success Story_Horticulture. n.d. https://agriportal.cg.nic.in/horticulture/Achievement/Success%20Story_Horticulture.pdf.
14. Svynous, Ivan, Olesya Havryk, and Valentyna Byba. 2020. "Theoretical and methodological foundations of creation and functioning of farms." *INNOVATIVE ECONOMY* (1–2):65–72. doi:10.37332/2309-1533.2020.1-2.10.

सरकारी और अन्य वेबसाइट संदर्भ

1. https://descg.gov.in/pdf/publications/latest/ES2023-24/ES-7.pdf
2. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1724145
3. https://industries.cg.gov.in/pdf/policy2024-30/Industrial_policy_24_30.pdf
4. https://www.dprcg.gov.in/post/1718979017/Raipur-Amritkal-Chhattisgarh-Vision-2047-Discussion-was-held-on-making-Chhattisgarh-a-powerhouse-of-agricultural-and-processed-superfoods-in-the-country
5. https://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiEn/Default.aspx
6. https://dprcg.gov.in/post/1735550453/Raipur-Foldscope-a-device-that-will-give-new-direction-to-agriculture-and-animal-husbandry-in-Chhattisgarh
7. https://www.abplive.com/agriculture/chhattisgarh-farmer-krishna-dutt-took-bumper-vegetable-production-with-new-techniques-provided-in-government-subsidy-2331866
8. https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/bhilai/dongargarh/news/by-using-organic-manure-the-land-was-made-fertile-by-adopting-fertile-scientific-science-aneshwar-verma-of-paragaon-khurd-127872011.html
9. https://cmo.cg.gov.in/news/Cow-based-organic-and-natural-farming-will-open-the-way-to-prosperity-for-farmers%3A-Chief-Minister-Vishnu-Dev Sai/TXIvcDNuSk8yTnpYZXJIRDhWcWM1QT09
10. https://agriculture.vikaspedia.in/viewcontent/agriculture/91593f93893e92894b902-915947-93293f90f-93093e91c94d92f-93593f936947937-92f94b91c92893e90f902/91b92494d92494093891792293c/90992694d92f93e92893f915940-

90f935902-92a94d93091594d93794792494d930-93593e92893f915940-93593f92d93e917-92694d93593e93093e-93890291a93e93293f924-92f94b91c92893e90f902?lgn=hi